न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : तारा चन्द मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 12/2020 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 03.07.2020
G.C.M.S. NO. :- 2020/00261

श्री रमेश पिता हीरालाल कुमावत उम्र वयस्क, निवासी सज्जनपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

-अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला-चित्तौड़गढ़

-रेस्पोडेन्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ बमिसल कमांक 02/2020 निर्णय दिनांक 23.06.2020

उपस्थितिः- 1- श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता, अपीलांट
2- श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

न्यायालय जि... चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय

दिनांक 27.07.2021

अपीलार्थी द्वारा अपील इस आशय की प्रस्तुत की है कि तहसील चित्तौड़गढ़ के पटवार हल्का नेतावल की रिपोर्ट के आधार पर मौजा सज्जनपुरा की चारागाह आराजी नम्बर 2 मीन रकबा 0.10 है. भूमि पर अपीलार्थी का अतिकमण मानते हुए अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा उक्त भूमि नियमन योग्य होते हुए भी दिनांक 23.06.2020 को लगान का 50 गुणा शास्ति एवं बेदखल किये जाने का निर्णय एवं आदेश पारित किया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि तहसील चित्तौड़गढ़ के पटवार हल्का नेतावल की रिपोर्ट के आधार पर मौजा सज्जनपुरा की चारागाह आराजी नम्बर 2 मीन रकबा 0.10 है. पर अतिक्रमण मानते हुए अपीलार्थी को दिनांक 12.06.2020 को नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलार्थी ने जरिए अधिवक्ता विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 19.06.2020 को जवाब प्रस्तुत किया। उसी दिन विचारण न्यायालय ने जवाब व बहस सुनी जाकर पत्रावली में निर्णय हेतु दिनांक 23.06.2020 निर्धारित कर दिनांक 23.06.2020 को निर्णय पारित कर दिया। अपीलार्थी ने अपने जवाब में निवेदन किया है कि पटवार हल्का ने मौजा सज्जनपुरा की आराजी नम्बर 2 मीन पर सम्वत् 2077 में अतिक्रमण करने का तथ्य गलत अंकित किया है उक्त आराजीयाज पूर्व में बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड रही है जिस पर अपीलांट व उसके भाई का कब्जा होकर पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है जो कि नियमन योग्य कब्जा है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बगैर अपीलार्थी का अतिक्रमण होना मानते हुए बेदखल एवं शास्ति का आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में विवादित आराजीयात को चारागाह भूमि बताते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत वर्जित श्रेणी की होना बताया है जबकि उक्त भूमि वक्त कब्जा बिलानाम रही है व आज भी अपीलांट के ही कब्जे मे चली आ रही है। उक्त आराजीयात के संबंध में ग्रामवासियों ने शमशान भूमि आरक्षित किए जाने हेतु प्रस्ताव लिया जाकर उक्त प्रस्ताव जिला कलक्टर के यहां प्रेषित किया व उक्त भूमि को चारागाह भूमि हेतु आरक्षित करवाए जाने की नियत से आए दिन शिकायतें करते चले आ रहे हैं उसी आधार पर विचारण न्यायालय ने अपीलांट को बेदखल किए जाने का निर्णय व आदेश पारित किया जो अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 23.06.2020 निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि चारागाह भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली एवं शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील में ग्राम सज्जनपुरा की प्रश्नगत आराजी नम्बर 2 मी रकबा 0.10 हैक्टेयर पर पूर्वजों के समय से अपीलांट व उसके भाई का कब्जा-काश्त होने का कथन किया है लिहाजा इस आराजी पर अपीलार्थी के अतिकमण के तथ्य को पृथक् से साबित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नगत आराजीयात आराजी नम्बर 2 मी रकबा 2.31 हैक्टेयर ग्राम सज्जनपुरा की किस्म चारागाह भूमि होकर मवेशियान के चराई के उपयोग की है, तथा प्रचलित नियमों के अन्तर्गत चारागाह भूमि पर किया गया अतिकमण नियमन योग्य नहीं होने के कारण ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखल करने एवं लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत् होकर इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.06.2020 यथावत रखा जाता है।

"निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।"

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कलेक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)